

जोधपुरी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/2016-17/267

दिनांक-

1/12/16

मैसर्स अरिहन्त सुपरस्ट्रचर लिमिटेड,
आयुषि टॉवर प्रथम फ्लोर पालरोड,
बारहवी रोड सर्कल, जोधपुर।

विषय : मैसर्स अरिहन्त सुपरस्ट्रचर लिमिटेड, राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673 से 677 के भूखण्ड क्षेत्रफल 99599.74 वर्गमीटर पर ग्रुप(आवासीय बहुमजिला फ्लेट्स) उपयोग के भवन में अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र बाबत।

प्रसंग : निदेशक आयोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का पत्रसाक एफ-37(3)/जोविप्रा/नि.आ./2016/1340 दिनांक 24.10.13 के क्रम में।

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके प्रासंगिक मैसर्स अरिहन्त सुपरस्ट्रचर लिमिटेड, राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673 से 677 के भूखण्ड क्षेत्रफल 99599.74 वर्गमीटर पर ग्रुप(आवासीय बहुमजिला फ्लेट्स) पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र का अनुमोदन एवं अंतःकालीन (प्रोविजनल) अग्निशमन अनापति निम्न शर्तों पर निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि हेतु जारी की जाती है :-

1. बहुमजिला भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही किया जावे।
2. भवन के भीतर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। अति आवश्यक होने पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किए जाने पर उसका उपर्युक्त अग्निरोधक उपचार किया जावे।
3. भवन के सेट बैक एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सेट बैक में अति छाजन होने पर भूतल से न्यूनतम 3.9 मीटर ऊंचाई पर रखना होगा।
4. भवन निर्माण के दौरान जन सुरक्षा के समस्त उपाय किए जाकर ही निर्माण कार्य किया जावेगा।
5. भवन के सेट बैक में निर्मित होने वाले भूमिगत वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक के कवर भारी अग्निशमन वाहनों का भार वहन करने में सक्षम होंगे।
6. राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार भवन में लगाए जाने वाले अग्निशमन उपकरण, पम्प, वाटर मेन्स, उच्चतम क्वालिटी के होंगे। भवन में लगने वाले स्प्रिंकलर्स, हाइड्रैण्ट, तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था भवन मानक के अनुरूप होंगे। स्प्रिंकलर पेंडेंट टाइप लगाने होंगे।
7. भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण, परीक्षण रखरखाव हेतु प्रशिक्षित अग्निशमक की नियुक्ति करनी होगी।
8. भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्वचालित ऑटो कट रखनी होगी तथा विद्युत भार अनुसार उच्च स्तरीय विद्युत वायर एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग करना होगा। तथा विद्युत व्यवस्था की अनापति विद्युत निरीक्षक से लेनी आवश्यक होगी।
9. भवन में आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा निर्देश व निकासी सूचक रेडियम से अंकित किए जाएंगे।
10. भवन के निकासी मार्गों/सीढ़ियों पर आपात कालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु आपात योजना बनाई जाकर प्रति उपलब्ध करानी होगी।
12. भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु भविष्य में राज्य सरकार/निगम द्वारा किसी प्रकार के निर्देश दिए जाने पर उसकी पालना प्रबंधन को करनी होगी।
13. उक्त अनापति प्रमाण पत्र अग्निशमन दृष्टि के लिये ही मान्य होगा।
14. एन.बी.सी. के नियमों की पालना व्यवस्थापक का सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न : शपथ पत्र की प्रति।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/2016-17

दिनांक

1. निदेशक आयोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर